न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र सांजटा

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जगमालराम पुत्र खंगारराम 2 चौखाराम पुत्र खंगारराम 3 जालाराम पुत्र खंगारराम जातियान जाट निवासीयान पोलाणियों की ढ़ाणी (सांजटा) तहसील व जिला बाड़मेर		1.सिदाराम पुत्र लिखमाराम 2 कोजाराम पुत्र टीकमाराम 3 भगाराम पुत्र टीकमाराम 4 गोरधनराम पुत्र हीराराम 5 मगाराम पुत्र हीराराम 6 देवाराम पुत्र हीराराम 7 जुंझाराम पुत्र मुकनाराम 8 किशनाराम पुत्र विरमाराम 9 पूनमाराम पुत्र जालूराम जातियान जाट निवासीयान पोलाणियों की ढ़ाणी सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक–09.11.2021

राजस्व आवेदन सख्या–108/2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पोलाणियों की ढ़ाणी पटवार क्षैत्र सांजटा तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 538 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 594/539 रकबा 185.18 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पाच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 6226–6229 दिनांक– [illegible] 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि [illegible] अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जगमालराम पुत्र खंगारराम वगैराह जाति जाट निवासी पोलाणियों की ढ़ाणी सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण सिदाराम पुत्र लिखमाराम वगैराह जाति जाट निवासी पोलाणियों की ढ़ाणी सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:41:33 IST
Reason: SelfAttested